# सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–..... वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:–

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1. (1)इंस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण(उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021, है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**धारा 5–'क' का संशोधन** 2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5–क में;

(i) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां–जहां वे आते है, "रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएगें;

(ii) उपधारा(2) के स्पष्टीकरण–1 में "धारा 13" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 21" शब्द और अंक रखे जाऐंगे।

# THE SOCIETIES REGISTRATION(UTTARAKHAND AMENDMENT) Bill, 2021

**(Uttarakhand Bill no.....2021)**

**A**

**Bill**

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in it's application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventy second year of the Republic of India as follows:

**Short title, extent and commencement**

1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

**Amendment of section 5-A**

2. In the Societies Registration Act, 1860 in section 5-A,

(i) for the words "Courts" wherever they occur, the words "Registrar" shall be substituted;

(ii) In explanation-I of sub-section (2) for the words and Figures "Section 13", the words and figures "Section 21" shall be substituted.

## उदेद्श्य और कारणों का कथन

राज्य में नये विकासात्मक गतिविधियों(अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि) को प्रोत्साहित करने एवं इस हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था किये जाने हेतु सोसाइटियों के सम्पत्ति को बंधक रखने या विक्रय करने के सम्बन्ध आ रही परेशानी का निवारण किया जाना अनिवार्य है।

2. उपरोक्त उदेद्श्य की पूर्ति हेतु, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 कि धारा 5–'क' में संशोधन प्रस्तावित है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उदेद्श्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मंत्री

## Statement of Objects and Reasons

In order to encourage new development activities(hospital, school, college,university etc.) in the state and to arrange necessary capital for this, it is necessary to solve the problem of mortgage or sale of the property of the societies.

2. For the fulfilement of the aforesaid objective amendment in section 5-A of the Societies Registration Act, 1860 is proposed by this Bill.
3. The proposed Bill fulfils the aforesaid objectives.

**Pushkar Singh dhami**

Minister

## विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का संशोधन मात्र है।

2. विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

3. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 5– 'क' में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

**पुष्कर सिंह धामी**
मंत्री

## विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

1. प्रस्तावित विधेयक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का संशोधन मात्र है।
2. प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मंत्री

## वित्तीय ज्ञापन

1. प्रस्तावित विधेयक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का संशोधन मात्र है।
2. प्रस्तावित विधेयक में, राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मंत्री

# उद्देश्य और कारणों का कथन

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री